उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 31.05.2025

# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

## थाना अजनर की पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक- 30.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़, श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना अजनर सत्यपाल सिंह द्वारा गठित की गयी पुलिस टीम उ0नि0 आकाश मौर्य, उ0नि0 ऋषी शुक्ला, कां0 सौरभ सिंह व का0 प्रताप विक्रम के नेतृत्व में टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के साथ एक नफर अभियुक्त वीरपाल उर्फ वीरू पुत्र राजबहादुर राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा को स्यावन मोड़ पर बने यात्री प्रतिक्षालय के सामने वहद ग्राम अजनर से कुल 22 अदद क्वार्टर झूम देशी शराब नाजायज बरामद की गयी, अभियुक्त के कब्जे से हुई बरामदगी के आधार पर थाना अजनर में मु0अ0सं0 122/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 आकाश मौर्य
2. उ0नि0 ऋषी शुक्ला
3. का0 सौरभ सिंह
4. का0 प्रताप विक्रम

### अभियुक्त का विवरण-

वीरपाल उर्फ वीरू पुत्र राजबहादुर राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष नि0 ग्राम सगुनियामाफ थाना अजनर जनपद महोबा

### बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 22 अदद क्वार्टर झूम बराबर देशी शराब नाजायज बरामद

### अपराध विवरण-

मु.अ.सं. 122/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना अजनर जनपद महोबा

## अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को पुष्पगुच्छ/मोमेन्टों प्रदान कर दी गई भावुक विदाई।

उ0प्र0 पुलिस में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों की यादगार विदाई हेतु आज दिनांकः- 31.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा पुलिस लाइन अवस्थित सभाकक्ष में विदाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा उ0प्र0 पुलिस सेवा से अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मियों को उनके परिवारीजनों की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह, शॉल, उपहार व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया तथा पुलिस सेवा में रहते हुये उनके द्वारा की गयी विभिन्न सराहनीय सेवाओं को याद करते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य, सुखमय जीवन व उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ भावुक विदाई दी गयी।

**सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी-**

1. उ0नि0 श्री सतीश कुमार शुक्ल
2. मुख्य आरक्षी श्री ब्रम्हदत्त आदिवासी

उक्त विदाई समारोह के अवसर पर जनपदीय पुलिस के अधि./कर्म.गण एवं अन्य सम्बन्धित पुलिसकर्मियों सहित उनके परिवारीजन उपस्थित रहे और सभी सेवानिवृत्त हो रहे पुलिस कर्मियों को सम्मानपूर्वक विदाई दी।

# MAHOBA POLICE

## Meticulous Investigation & Prosecution

### "हत्या की घटना कारित करने वाले हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की हुई सजा।"

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आज दिनांक 31.05.2025 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे01 महोबा द्वारा हत्यारोपी अभियुक्त को सम्बन्धित अभियोग में दोषसिद्ध घोषित करते हुए आजीवन कारावास तथा 10 हजार/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**विवरण निम्नवत है:-**

थाना अजनर में पंजीकृत मु.अ.सं. 200/2020 व धारा 302 भादवि से सम्बंधित अभियुक्त शिवम राजपूत पुत्र रामसहाय राजपूत नि. महुआबांध थाना अजनर जनपद महोबा को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

कां0 शिवम सागर मिश्रा
पैरोकार थाना अजनर

# MAHOBA POLICE

## Meticulous Investigation & Prosecution

**अवैध शस्त्र की बरामदगी पर अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास व 02 हजार ₹ के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित-**

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप ए.डी.जे. 1 कोर्ट महोबा द्वारा अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस की बरामदगी पर पंजीकृत अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को 03 वर्ष के कारावास की अवधि व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**विवरण निम्नवत है:-**

**थाना अजनर** में पंजीकृत मु0अ0सं0 201/2020 धारा- 3/25 आर्म्स अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त शिवम राजपूत पुत्र राम सहाय राजपूत नि. महुआ बांध अजनर को 03 वर्ष के कारावास की अवधि व 02 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

पुष्पेन्द्र मिश्रा
विशेष लोक अभियोजक

कां0 शिवम सागर मिश्रा
पैरोकार थाना अजनर

# MAHOBA POLICE

## Meticulous Investigation & Prosecution

## चोरी एवं अवैध शस्त्र के प्रकरण में पंजीकृत 03 अभियोगों में आरोपी अभियुक्त को न्यायालय ने किया दण्डित-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "Operation Conviction" के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप सीजेएम कोर्ट महोबा द्वारा चोरी एवं अवैध शस्त्र के प्रकरण में पंजीकृत 03 अभियोगों में आरोपी अभियुक्त को परीक्षणोपरांत जेल में बिताई गई अवधि के कारावास व 05 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

**विवरण निम्नवत है:-**

थाना कबरई में पंजीकृत क्रमशः मु०अ०सं० 134/20 धारा 411 भादवि, मु.अ.सं. 180/2020 धारा- 379/411 भादवि व मु.अ.सं. धारा- 3/25 आर्म्स अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त सन्दीप प्रजापति पुत्र शंकर लाल निवासी न्यूरिया थाना बिवार जनपद हमीरपुर को जेल में बिताई गयी अवधि के कारावास व क्रमशः ₹ 04 हजार व 01 हजार, कुल 05 हजार रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

शारदा प्रसाद
अभियोजन अधिकारी

कां. ज्ञानेन्द्र सिंह
पैरोकार थाना कबरई

# MAHOBA POLICE

## Meticulous Investigation & Prosecution

### जुआ अधिनियम के अभियोग में अभियुक्त को 100/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में महोबा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप जे.एम. चरखारी महोबा द्वारा जुआ अधिनियम के अभियोग में परीक्षणोपरांत नामित अभियुक्त को 100/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विवरण निम्नवत है:-

थाना चरखारी में पंजीकृत अभियोग क्रमश: मु0अ0सं0 144/2022 धारा 13 जुआ अधिनियम से सम्बन्धित अभियोग में नामित अभियुक्त पुष्पेन्द्र पाल पुत्र हरीशंकर उर्फ राजू पाल निवासी बम्हौरी बेलदारन थाना चरखारी जनपद महोबा को 100 रु. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

विनय कुमार वर्मा
अभियोजन अधिकारी

आ0. मिथलेश कुमार
पैरोकार थाना चरखारी महोबा

@MahobaPolice

# Meticulous Investigation & Prosecution

## Operation Conviction | Mahoba Police

## “आवश्यक वस्तु अधिनियम” से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तों को न्यायालय ने किया दण्डित...।

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान “Operation Conviction” के दृष्टिगत श्री प्रबल प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक, जनपद महोबा के निर्देशन में जनपद महोबा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अभियोजन विभाग के संयुक्त प्रयास से मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी के क्रम में सी.जे.एम. कोर्ट महोबा द्वारा “आवश्यक वस्तु अधिनियम” से सम्बन्धित अभियोगों में परीक्षणोपरान्त आरोपी अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

❖ **विवरण निम्नवत है:-**

थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु.अ.सं. 1324/2005 धारा 3/7 ईसी एक्ट (अभियुक्तों द्वारा सरकारी गल्ले की दुकान से गेंहू गरीबों में वितरण न करके बाजार में बेंचना) से सम्बन्धित अभियुक्तगण क्रमश: 1.मोहन प्रसाद पुत्र कालीचरन नि. बीजानगर को न्यायालय उठने तक की सजा व 16500/- रु. के जुर्माने से व अभियुक्त 2.कुसुम रानी पुत्नी मोहन प्रसाद 3.रामप्रसाद पुत्र स्व0 दसईया 4.कालीचरन पुत्र रामप्रसाद नि.गण बीजानगर को न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को 5500-5500 रु./- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर महोबा में पंजीकृत मु.अ.सं. 3176/2008 धारा 3/7 ईसी एक्ट (अभि. के कब्जे से 16 बडे सिलेण्डर, घरेलू चूल्हा, बर्नर, भट्ठी, रेग्यूलेटर होटल से नाजायज बरामद हुआ था) से सम्बन्धित अभियुक्त कस्सी पुत्र शंकर नि. गांधीनगर महोबा को न्यायालय उठने तक की सजा व 02 हजार रु. के जुर्माने से दण्डित किया गया है।